आज का सुविचार
सत्य से बड़ा
तो ईश्वर भी
नहीं होता है।

साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में
संवाददाता नियुक्त करना है..
संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 90 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

कन्या शाला या कन्या महाविद्यालय अलग से संचालित करना महिलाओं का मौलिक अधिकार है जानिए : The Constitution of India...

शासन द्वारा संचालित संस्थाओं में कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए 100त्न आरक्षित होते हैं। जैसे किसी कन्या विद्यालय या गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल का पद। महिला पुलिस थाने के प्रभारी का पद। कन्या छात्रावास के अधीक्षक का पद। इत्यादि। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14- समानता के अधिकार या अनुच्छेद 16- लोक सेवाओं में अवसर की समानता के अधिकार प्रदान किया गया है। क्या किसी विशेष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आइए अध्ययन करते हैं-

युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

भारतीय संविधान,1950 के अनुच्छेद 15 (3) की परिभाषा-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष नियम बनाने से नहीं रोकेगी। क्योंकि स्त्रियों ओर बालकों की स्वाभविक प्रकृति ही ऐसी होती हैं जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में स्त्रियों की दशा पहले से ही बहुत शोचनीय थी, वे अपनी सामाजिक कुरीतियों जैसे- बाल विवाह, बहु विवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा आदि की शिकार थी और वे पूर्णरूप से पुरूषों पर आश्रित थी, इसी कारण राज्य शासन उनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के अंतर्गत विशेष कानून बनाने का अधिकार रखता हैं।

महिला आरक्षण पर उधारानुसार निर्णायक वादः- विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्विद्यालय-

उक्त मामले में विश्वविद्यालय कैलेण्डर के एक नियम के अंतर्गत महिला विद्यालयों में प्रिंसिपल के पद पर केवल महिलाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि इसके अधीन किया गया वर्गीकरण सही है और इसका उस उद्देश्य से संबंध है जिसे पूरा किया जाना अर्थात महिलाओं की सुरक्षा हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15 (3) के अधीन राज्य सरकार को स्त्रियों के लिए विशेष नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है एवं कोई भी न्यायालय अनुच्छेद 15(3) के अधीन राज्य द्वारा महिलाओं के हित में बनाये गए नियमो या निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने लंबित प्रकरणों का समाधान करवाया

कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए करें नवाचार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अच्छे कार्य करने वालों की सराहना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा।

समीक्षा में लिए गए प्रकरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। अनूपपुर जिले के आवेदक श्री सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के श्री आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया। पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मौलिक अधिकार क्या है, जानिए-

एक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान के व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार, सम्पूर्ण संविधान का सार भी कहा जा सकता है। जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 21 की परिभाषा (सरल एवं संक्षेप शब्दों में)- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को भी जीवन एवं शारिरिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अगर हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण अधिकार की बात करें तो यह बहुत ही विस्तृत अधिकार है इसके अंतर्गत-

1. निशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार।
2. राज्य से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार।
3. नि:शुल्क अनाज (भोजन)खाद्दान्न पदार्थ प्राप्त करने का अधिकार।
4. आश्रय (आवास) प्राप्त करने का अधिकार।
5. निजता का अधिकार।
6. शारिरिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
7. राज्य से नि:शुल्क विधिक सहायता लेने का अधिकार।
8. सम्मान-जनक जीवन जीने का अधिकार।
9. स्वच्छ वायु, पानी, बिजली पाने का अधिकार।
10. स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार।
11. बालक एवं महिला को संरक्षण एवं सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
12. निर्धन, गरीब व्यक्ति को व्यक्ति को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, राशन प्राप्त करने का अधिकार।
13. विधायिका, कार्यपालिका से संरक्षण प्राप्त एवं अवैथ विधि को अपास्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 21 उक्त अधिकार से भी और विस्तृत हैं जो नागरिकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर प्राप्त होते हैं।

- लेखक बी.आर. अहिरवार
(पत्रकार एवं विधिक सलाहकार
होशंगाबाद) 9827737665

हार्दिक आभार

19 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर
आप सभी ने जो प्यार, शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दिया,
उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।

सोशल मीडिया, कॉल, संदेशों और व्यक्तिगत रूप से
मिले आपके स्नेह ने इस दिन को और खास बना दिया।

मैंने अपना जन्मदिन
नगर देवरी स्थित अंबेडकर भवन में
डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर,
युवाओं और वरिष्ठ जनों के साथ केक काटकर मनाया।

आपका यह स्नेह और विश्वास
मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है।

सादर धन्यवाद एवं आभार ?

■ **हल्केवीर सूर्यवंशी**
संभागीय पत्रकार / युवा समाजसेवी

फ़िल्म 'शोले' में अंग्रेज़ों के ज़माने वाले जेलर के किरदार में अमर हो गए हास्य अभिनेता असरानी

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ और बहुमुखी अभिनेता गोवर्धन असरानी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने अपने करियर में लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। असरानी ने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। असरानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से की। उन्होंने अपने करियर में कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया, जिनमें शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात, अभिमान, आ अब लौट चलें, हम आपके हैं कौन, राजा बाबू, धमाल आदि शामिल हैं। FTII में ट्रेनिंग ली, गुजराती फिल्मों से शुरुआत की और फिर हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते कॉमेडियन बन गए। असरानी को उनके कॉमेडी रोल के लिए हमेशा जाना जायेगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं भी निभाईं। उन्हें शोले में जेलर के किरदार के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली। असरानी का निधन 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की आयु में हुआ।उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली मीडिया सूत्रों के अनुसार लगभग शाम चार बजे असरानी जी का देहांत हुआ। उससे कुछ देर पहले ही तीन बजे उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी।उनकी मृत्यु से फिल्म उद्योग में शोक की लहर फैल गई।

प्राचीन संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरता पूजा-अर्चना की अनूठी परंपरा है बारह खंभा मेला

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल

भारत, विविध बहुरंगी संस्कृतियों, और परंपराओं का देश है, जो अपने जीवंत त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश में कुछ किलोमीटर के अन्तराल में ही स्थानीय बोली, परिवेश और सांस्कृतिक विविधता के दर्शन हो जाते हैं। देश के तीज, त्योहारों और मेलों का जीवन में एक विशेष महत्व है। यह हमारी जीवंत और समृद्धशाली सांस्कृतिक का प्रतीक है, जो सनातन से अविरल प्रवाहमान है। भारतीय संस्कृति में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कामना है। सीहोर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर लगने वाला बारह खम्बा मेला, एक ऐसा मेला है जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूजा-अर्चना की जाती है। दीपावाली के दूसरे दिन अर्थात पडवाँ के दिन इछावर तहसील के ग्राम देवपुरा में बारह खंबा मेला लगता है। यह मेला मध्यक्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। इस मेले में लाखों जनजातीय वर्ग के लोग अपने

ईष्ट देव की शिला का दूध से अभिषेक और पूजा अर्चना कर अपने पशुधन की स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करते हैं। यहां सुबह से शाम तक हजारो लीटर दूध से देवशिला का अभिषेक किया जाता है। एसी मान्यता है कि यहा देवशिला पर अपने दुधारू पशु का दूध चढ़ाने से वह साल भर रोगमुक्त रहते हैं। जनजातीय समुदाय के अलावा सभी वर्गों के श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और यह मेला प्रदेश के बड़े मेलों में से एक हे जिसमें दो लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आते हैं। बारह खंबा मेला इछावर में प्राचीन काल से ही लगता आ रहा है। इछावर से 15 किमी दूर देवपुरा गाँव में जनजातीय समुदाय के आराध्य देव की देवरूपी शिला है, जिसे बारह खंबा वाले देव महाराज के नाम से जाना जाता है। यह 12 शिला स्तम्भों से बने छत के नीचे विद्यमान थी। इसीलिए इस स्थान का नाम बारह खंबा पड़ गया। वर्तमान में देवपुरा गाँव बारह खंबा के नाम से ही जाना जाता है।बारह खम्बा मेले के बारे इस क्षेत्र में यह किवदंती प्रचलित है कि गाँव के एक किसान को लगातार पशुधन की हानि हो रही थी। उसके पशु लगातार बीमार रहते और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। कुछ समय बाद इस किसान को जंगल में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने उस किसान से कहा कि बारह खंबे के बीच एक देवशिला है। उस देवशिला पर पड़वाँ के दिन दूध चढ़ाना फिर साल भर तुम्हारे पशु स्वस्थ रहेंगे। यह बात उस किसान ने ग्रामवासियों को बताई। तभी से यहाँ दिपावली के दूसरे दिन यानी पड़वाँ को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई और मेला लगने लगा।

देश के वरिष्ठ दलित नेता , भारत सरकार के पूर्व गृहमंत्री तथा डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि दिल्ली कमेटी के संयोजक मंडल के सदस्य श्री योगेंद्र मकवाना के निधन पर श्रद्धांजलि

देश के दलित समाज के वरिष्ठ नेता भारत सरकार के पूर्व गृहमंत्री मान. श्री योगेंद्र मकवाना जी का 92 वर्ष की आयु में दि. 21 अक्टूबर 2025 को निधन होने से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि दिल्ली कमेटी के चेयरमैन श्री इंद्रेश गजभिये ने कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की है। श्री मकवाना ने पांच दशक तक राष्ट्र एवं दलित समाज की सेवा की हैं। उन्होंने गृहमंत्री के रूप में समाज के लिये उपयोग करने वाले अपमान सूचक हरिजन शब्द पर भारत सरकार की ओर से कानूनी प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका अदा की थी। श्री मकवाना ने दलितों को जागरूक एवं संगठित करने अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद संगठन की स्थापना की थी। वे इस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तीन दशक पहले हमने भोपाल के पंचशील नगर में उनकी जनसभा की थी। श्री मकवाना गुजरात राज्य से आते थे। वे हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं मित्र थे। जब देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण (निधन) स्थली, अंधेरे में अनजान,बदहाल और टूटी - फूटी अवस्था में उपेक्षित पड़ी थी और इस पवित्र महापरिनिर्वाण भूमि पर संविधान की आकृति का सुंदर स्मारक बनाने तथा इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने हेतु गांधी समाधि राजघाट जैसा इसे सम्मान दिलाने हेतु देश व्यापी आंदोलन चलाया तथा

दिल्ली में सभाएं, प्रदर्शन और रैलियां की तब सर्व दलिय दलित नेताओं को एकजुट करने की मस्कत की गई वे इस आंदोलन में शामिल हुये तथा इस संघर्ष में वे सहभागी रहे। दिल्ली के रैली सभामंच पर उनकी उपस्थिति इस आंदोलन के इतिहास में उनकी स्मृति के रूप में दर्ज है। वे दिग्गज नेताओं के साथ पंक्ति के अंत में खड़े है। श्री रामविलास पासवान वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री चरणजीत अटवाल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, डॉ. सत्यनारायण जटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉ. उदित राज पूर्व सांसद, श्री इंद्रेश गजभिये(कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष) श्री जी. डी. सीलम पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री टी. एम. कुमार कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक, श्रीमती सत्या बहन पूर्व सांसद, श्री योगेंद्र मकवाना पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री एच. हनुमनथप्पा पूर्व चेयरमैन राष्ट्रीय अ.जा. आयोग, श्री रामदास आठवले वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री अर्जुनराम मेघवाल वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री, श्री वीरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद, श्री आत्माराम भाई परमार गुजरात के पूर्व केबिनेट मंत्री, श्री पी. एल. पुनिया पूर्व सांसद, श्री संघप्रिय गौतम पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंच पर खड़े - श्री प्रमोद तभाने नागपुर, श्री अनिल सोनी आगरा, श्री जी. बालाकृष्णन हैदराबाद, श्री सुनील खोब्रागड़े दुर्ग (छ.ग.) इत्यादि अन्य पदाधिकारी दिखाई दे रहे है। एक लंबे आंदोलन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली में एक सुंदर स्मारक बन चुका है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्मारक का उद्घाटन किया जा चुका है। अब देश दुनिया के लोग इस पवित्र स्थान पर नमन और दर्शन करने आने लगे है। दलित आंदोलन की यह जीत और ऐतिहासिक सफलता है। इस सफलता में निश्चित ही श्री योगेंद्र मकवाना जी की सहभागिता रही है। महापरिनिर्वाण भूमि कमेटी उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन - श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं।

सड़क हादसे में महिला की मौत

अज्ञात वाहन के साथ महिला की पहचान करवाने में जुटी पुलिस

संभागीय संवाददाता -राजू राय

शहडोल / जयसिंहनगर। जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के टेटका मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अज्ञात महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। मृतका की उम्र लगभग 45-50 वर्ष बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के टेटका मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने एक अज्ञात महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद सड़क पर पड़े शव को देख लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात महिला की पहचान करवाने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के टेटका मोड़ के पास बहरा पुलिया में एक अज्ञात महिला का शव सड़क पर मिला है। सड़क पर शव देख ऐसा अंदेशा पुलिस ने लगाया है कि महिला को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया है। इससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। बीते रात सड़क से गुजर रहे कुछ वाहन चालकों ने शहडोल-रीवा मार्ग में बीच सड़क महिला का शव देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची थी, और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। महिला की उम्र लगभग 45-50 वर्ष के आसपास लग रही है। महिला के शव में गंभीर चोट के निशान हैं। महिला की पहचान करवाने में पुलिस लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महिला शहडोल-रीवा मार्ग पर काफी दिनों से दिखाई दे रही थी, जिसकी मानसिक स्थिति भी कुछ कमजोर थी, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि आखिरकार महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की है।

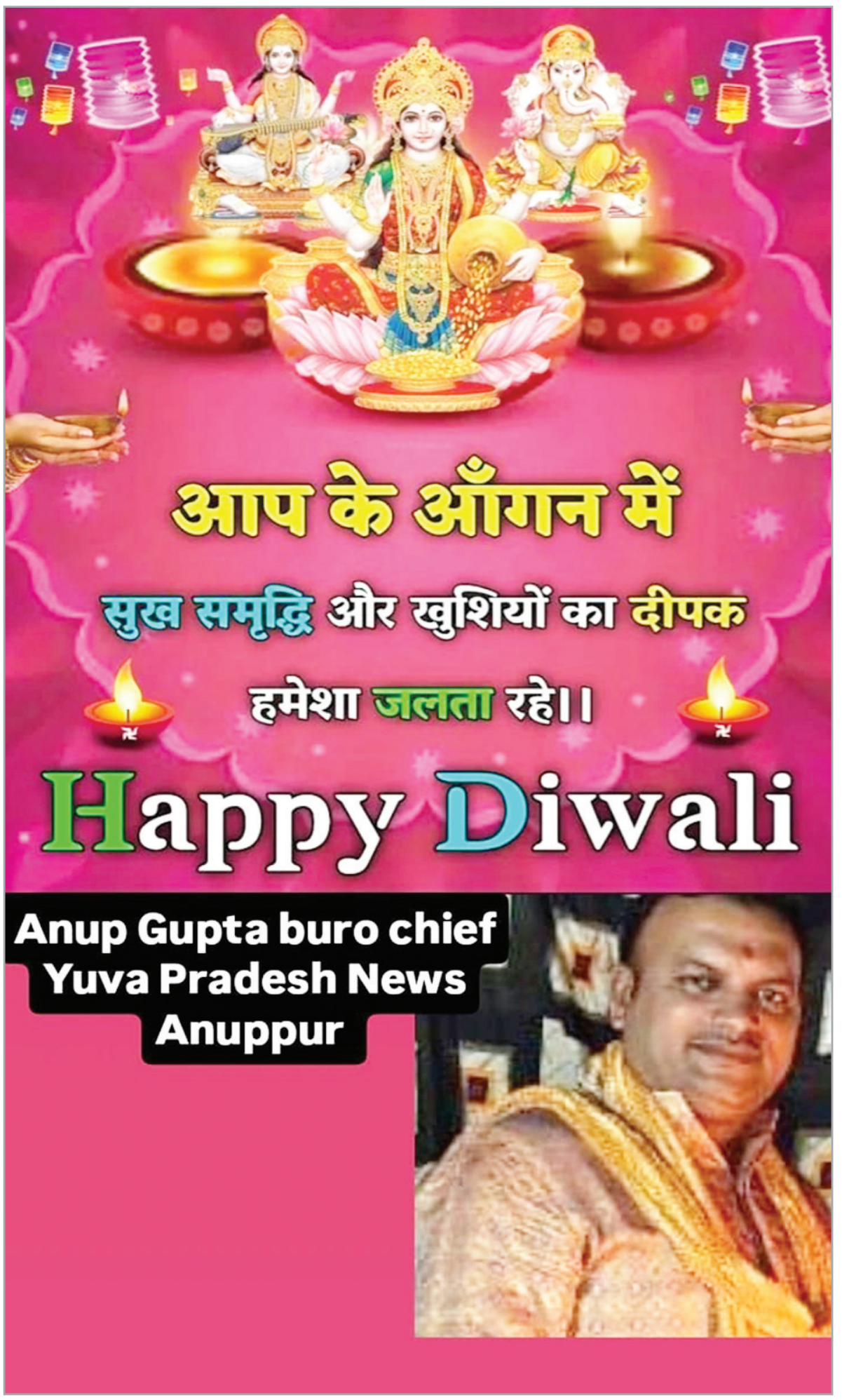

जल, जंगल, ज़मीन के योद्धा : कोमाराम भीम

प्रकृति, प्रतिरोध और स्वाभिमान की अमर पुकार

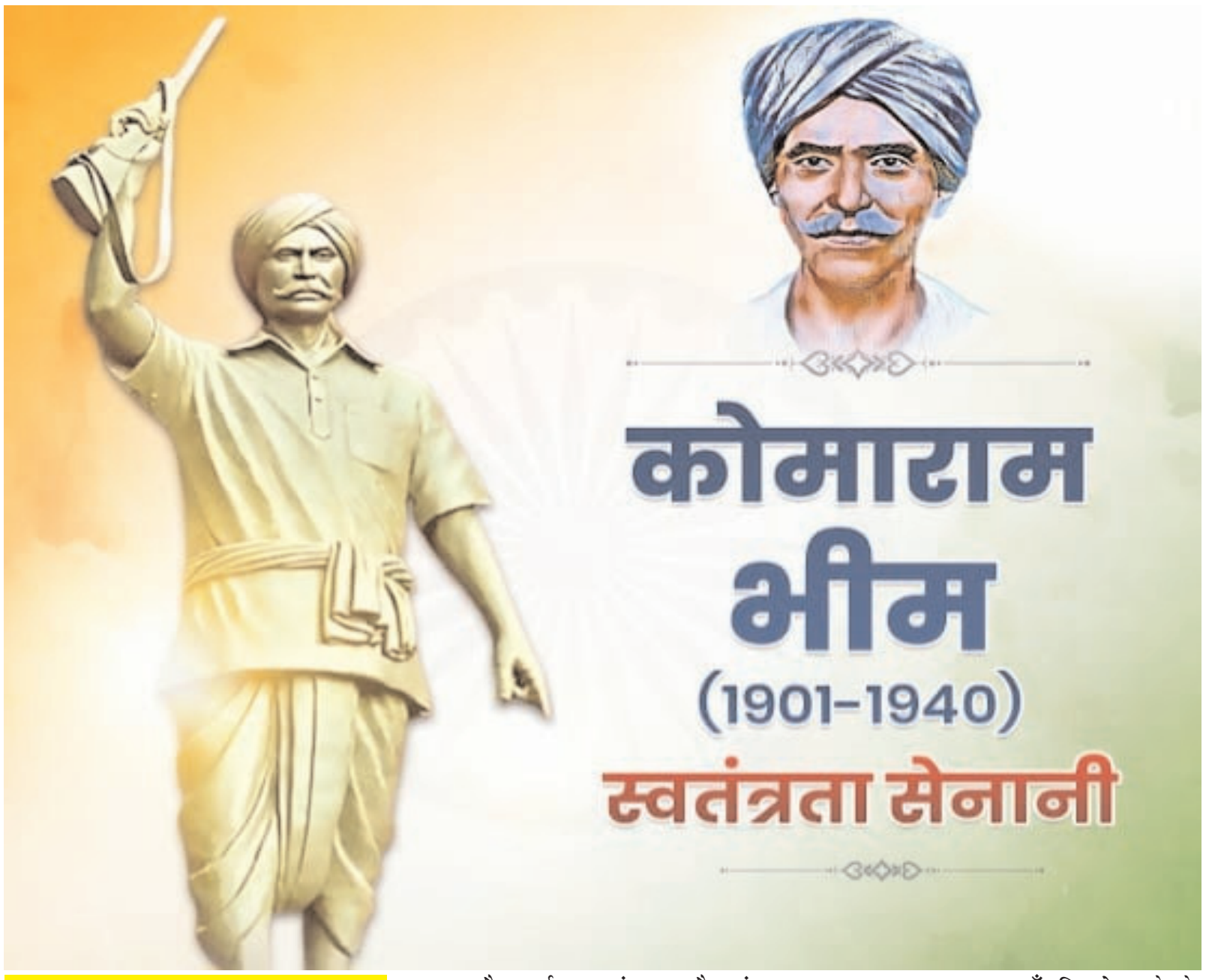

भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथा केवल बड़े शहरों के गलियारों तक सीमित नहीं थी, उसकी गूंज उन घने जंगलों, पथरीली घाटियों और अनछुए पहाड़ों तक फैली थी, जहाँ से एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया...जल, जंगल, ज़मीन हमारे हैं। यह आवाज़ थी आदिवासी अस्मिता के अमर प्रतीक, क्रांतिकारी योद्धा कोमाराम भीम की, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने समाज के सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए समर्पित किया। 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के संकेपल्ली गांव में जन्मे कोमाराम भीम जनजाति समाज के उस संघर्षशील तबके से थे, जिसे सदियों से हाशिए पर रखा गया था। वे औपचारिक शिक्षा से दूर थे, परंतु प्रकृति के बीच पलकर उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा अपनी भूमि, अपने जलस्रोतों और अपने जंगलों के प्रति गहरा लगाव और जिम्मेदारी। उस समय निज़ामशाही शासन और ज़मींदारी व्यवस्था ने आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कठोर प्रहार किए थे। खेती पर कर, जंगलों में प्रवेश पर पाबंदी, और 'पोडू' जैसी पारंपरिक खेती पर नियंत्रण ने उनकी आजीविका छीन ली थी। कोमाराम भीम ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने गोंड, कोया, भील, बेगा और अन्य जनजातियों को एकजुट किया और कहा कि अब मौन रहना अपराध है। उनकी विचारधारा सशस्त्र विद्रोह से अधिक चेतना का आंदोलन थी। जूडेंघाट के जंगलों में उन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंका, जिसने निज़ाम की नींद हराम कर दी। उन्होंने अपने साथियों को सिखाया कि जंगल केवल लकड़ी का भंडार नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं; ज़मीन केवल खेती की मिट्टी नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। उनका नारा जल, जंगल, ज़मीन केवल तीन शब्दों का घोष नहीं था, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन था। इसमें निहित था...जीवन की आत्मा, समाज की जड़ों का संरक्षण और प्रकृति से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता। वे जानते थे कि जब तक मनुष्य अपनी प्रकृती से कट जाएगा, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं बचेगा। यही कारण था कि उनका संघर्ष केवल निज़ामशाही के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय, असमानता और लूट की उस मानसिकता के खिलाफ था जिसने सदियों से आदिवासी समाज को दबाए रखा। 1940 को जूडेंघाट की धरती पर उन्होंने अपने समाज के हितो की रक्षा हेतू प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु उनका विचार अमर हो गया। आज तेलंगाना का एक पूरा जिला उनके नाम से जाना जाता है- कोमाराम भीम आसिफाबाद, जहाँ उनका स्मारक इस बात का प्रमाण है कि सच्चे क्रांतिकारी कभी मरते नहीं, वे चेतना बनकर पीढ़ियों को जगाते रहते हैं।

लेखिका- कु.प्रियंका जाटव
(शोधार्थी सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक-चिंतक)

कोमाराम भीम का पहला सिद्धांत था- जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा ! आज जब विकास के नाम पर अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, खनन और भूमि अधिग्रहण हो रहा है, तब कोमाराम भीम का यह विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि संसाधन केवल पूंजी नहीं, बल्कि मानव जीवन की आत्मा हैं। जब जल किसी कंपनी के बोतल में बंद हो जाए, बडे -बडे घने जंगल सीमेंट में बदल जाएं और ज़मीन मुनाफे की वस्तु बन जाए तब समाज अपनी जड़ों से कटता जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है...विकास के नाम पर जहां एक ओर जो पौधे वृक्ष काटे जाते हैं उन्हें दूसरे स्थान पर उगाने और रोपण करने की भी परम आवश्यकता है। आज केवल पौधा रोपण संरक्षण फाइलों अथवा कागजों तक सीमित ना रहे धरातल पर भी उतारने की वास्तविक जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण और संतुलन मानवजाति के लिए परम आवश्यक है। कोमाराम भीम का दूसरा सिद्धांत था - संघर्ष में सम्मान। उन्होंने दिखाया कि कोई भी समुदाय छोटा नहीं होता यदि उसमें आत्मसम्मान और सामूहिक एकता का भाव जाग्रत हो जाये, तो वह उठ खड़ा होगा। यह सिद्धांत आज भी वंचित वर्गों, किसानों, श्रमिकों और अनुसूचित जाति जनजातियों के आंदोलनों में गूंजता है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तब वह केवल विरोध नहीं करता, बल्कि न्याय की दिशा में समाज को आगे बढ़ाता है। कोमाराम भीम का तीसरा सिद्धांत था- प्रकृति के साथ सहअस्तित्व। कोमाराम भीम ने प्रकृति को शोषण की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का सहयोगी माना। आधुनिक युग की जलवायु आपदाओं, तापवृद्धि और पर्यावरणीय संकटों के बीच उनका यह दृष्टिकोण मार्गदर्शन बनता है। वे सिखाते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब वह धरती की सेहत के साथ जुड़ा हो। अंततः उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था - अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी। उन्होंने अपने समाज को सिखाया कि अधिकार मांगने से पहले एकता और आत्मनिर्भरता, कर्तव्य भी जरूरी है। आज के लोकतांत्रिक भारत में यह विचार बेहद मौलिक है कि..सशक्त नागरिक वही है जो अपने समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी भी हो। आज जब विश्व जलवायु संकट, वन विनाश और संसाधनों के असीमित दोहन के युग से गुजर रहा है...तब कोमाराम भीम का जल, जंगल, ज़मीन का सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनके सिध्दांत हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी केवल विकास की वस्तु नहीं, बल्कि साझा जीवन का आधार है।

उनके विचारों में सदैव एक समतामूलक समाज का सपना था जहाँ निचले तवके के हर व्यक्ति को भी सम्मान पूर्वक संसाधनों पर अधिकार मिले, जहाँ प्रकृति और मनुष्य का संबंध शोषण नहीं, सहअस्तित्व का हो। कोमाराम भीम ने यह भी बताया कि...सत्ता से कई अधिक महत्त्वपूर्ण है- जागरूकता,साहस और वैचारिक शिक्षा और एकता। उन्होंने सिखाया कि जो अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, इस प्रकृति से स्नेह करता है अपने समाज से प्रेम करता है वह किसी भी अत्याचार के सामने झुक नहीं सकता। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अन्याय के विरुद्ध सदा खड़े रहना ही सच्चा धर्म है, और जो अपने समाज के लिए मरता है, वह अमर हो जाता है। वे केवल 39 वर्ष की आयु में शहीद हुए- अपने जीवन के मात्र चार दशक में उन्होंने वह कर दिखाया जो सदियों तक आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बना रहा। कोमाराम भीम सदा अमर हैं क्योंकि उनका संघर्ष सदैव समाज के भीतर जीवित है। वे आज भी पुकारते हैं-- उठो! अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने अधिकार को जानो, और अपनी एकता को जगाओ। उनकी इस जयंती पर यही प्रण हो...कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण न करें, बल्कि अपने जीवन में उतारें आत्मसात करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यह कह सकें कि..कोमाराम भीम केवल इतिहास के नायक नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं। कोमाराम भीम के शब्दों में- हमारा जीवन हमारी धरती से जुड़ा है इस प्रकृति से जुडा है शिक्षा से जुडा है, उसे छीनना हमारे अस्तित्व को मिटाना है और इसलिए जब तक धरती पर न्याय का सूरज उगता रहेगा, तब तक यह नाम अमर रहेगा...कोमाराम भीम अमर रहें, जय सेवा जय जोहार ! कोमाराम भीम की जयंती पर शीश नवाकर हृदय से शत-शत नमन !!

शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा में राष्ट्रीय वेबीनार का सफल आयोजन – पुस्तकालय की बदलती भूमिका पर हुआ मंथन।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों अनुसार शासकीय महाविद्यालय उदयपुर में पुस्तकालय विभाग द्वारा राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया यह वेबीनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के क्रियान्वयन में पुस्तकालय की बदलती भूमिका पर केंद्रित रहा। महाविद्यालय की इस वेबीनार में भोपाल – नर्मदा पुरम संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ. मथुरा प्रसाद, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस महाविद्यालय रायसेन के प्राचार्य डॉ. किशोर जॉन एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस , मकरोनिया बुजुर्ग सागर के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री संतोष कुमार कोरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए द्य इस वेबीनार में सम्माननीय वक्तागण विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ.प्रभात पांडे (उपाध्यक्ष) भारतीय पुस्तकालय संघ, डॉ प्रभात सिंह राजपूत (विभागाध्यक्ष) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान एवं डॉ.अमित किशोर (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं लेखक) केंद्रीय विद्यालय समस्तीपुर, बिहार रहे जिन्होंने इस

वेबीनार में विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर के वेबीनार के सभी प्रतिभागियों व छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया द्य इस राष्ट्रीय वेबीनार में लगभग 18 प्रदेशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं शोधार्थियों द्वारा अपने रिसर्च शोध पेपर सभी के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत किए द्य इस वेबीनार का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अन्नू बड़कुड़ द्वारा किया गया एवं उन्होंने वेबीनार के शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्तर पर सभी वेबीनार के प्रतिभागियों को लाभान्वित किया एवं पुस्तकालय विभाग को बधाई संदेश दिया। यह वेबीनार महाविद्यालय के (पुस्तकालयाध्यक्ष) श्री सत्येंद्र कुमार आठिया द्वारा (संयोजक) द्वारा आयोजित किया गया उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को धन्यवाद प्रेषित किया कि शासन की इस पहल से प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को आधुनिक एवं नवाचार विचार बिंदु से लाभ प्राप्त हो रहा है द्य इस वेबीनार के सह-संयोजक श्री पंकज आर्य क्रीडाधिकारी रहे जिन्होंने वेबीनार में उपस्थित रहे सभी मुख्य अतिथियों, विषय विशेषज्ञों,शोधार्थियों, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अन्य प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। महाविद्यालय के इस वेबीनार में समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

डॉ. देवेंद्र धाकड़ ने किया दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन, कवि सम्मेलन ने बांधा समा

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा (रायसेन)। समाजसेवी एवं प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. देवेंद्र धाकड़ द्वारा शुक्रवार शाम उदय श्री पैलेस, उदयपुरा में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी एकता, सौहार्द और प्रेम का संदेश देना रहा। समारोह में आए अतिथियों ने दीपावली जैसे पर्वों के माध्यम से भाईचारे और सामुदायिक समरसता को मजबूत करने की बात कही।

कवि सम्मेलन बना आकर्षण का केंद्रः आयोजन की विशेष शोभा रहा कवि सम्मेलन, जिसमें स्थानीय और आमंत्रित कवियों ने हास्य, व्यंग्य और प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और भावविभोर किया। मंच से निकले शब्दों ने दीपावली की शाम को और भी यादगार बना दिया।

भोज और सौहार्द का सुंदर संगमः समारोह में स्वादिष्ट प्रति भोज (डिनर) की व्यवस्था की गई थी, जिसका सभी उपस्थित जनों ने आनंद लिया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, अपनापन और सामाजिक एकता का वातावरण देखने को मिला।

डॉ. देवेंद्र धाकड़ की पहल को मिली सराहनाः गौरतलब है कि हाल ही में डॉ. धाकड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और निरंतर समाजसेवा, चिकित्सा एवं सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दीपावली मिलन समारोह में उनकी पहल की नगरवासियों एवं सामाजिक संगठनों ने खूब सराहना की।

संभागीय उपायुक्त कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ग्वालियर संभाग ग्वालियर में भ्रष्टाचार का का एक और रास्ता निकाल लिया है - डॉ अग्र

विश्वास से सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सीएम हेल्पलाइन यदि किसी शिक्षक अधीक्षक की होती है तो फोर्सली बंद कराने के लिए संभागीय उपायुक्त कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं सहायक आयुक्त कार्यालय जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर में भ्रष्टाचार का लिफाफा सिस्टम चालू हो गया है लिफाफा पहुंचेगा तो फोर्सली बंद हो जाएगी और यदि इन भ्रष्टाचारी अधिकारी और लिपकों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज है तो उसे बगैर शिकायत का निराकरण किये जिस पीडित व्यक्ति ने शिकायत की है उस पीडित शिकायतकर्ता पर दवाव बनाया जाता है और सीएम हेल्पलाइन में झूठा अपडेट अधिकारी कर्मचारी कर देते हैं ताकि शिकायत बंद हो जाए और किसी ने किसी शिक्षक अधीक्षक की शिकायत कर दी तो उसे फोर्सली बंद करने के लिए शिक्षक अधीक्षक से फोर्सली बंद करने के लिए भ्रष्टाचार का लिफाफा मांगा जा रहा है होगी उक्त आरोप कसस के संस्थापक प्रांताध्यक्ष डॉ जवर सिंह अग्र ने लगाया है सीएम हेल्पलाइन एक कमाई का जरिया और शुरू हो गया है जनजाति कार्यवाह के जिला और संभागीय कार्यालय में इतना ही नहीं यह अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि कोई शिक्षक अटैच नहीं है जबकि दो-दो साल से शिक्षण कार्य कार्यालय में ही कर रहे हैं और कहा जाता है कि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण करने के लिए रखा है क्या शिक्षक का पद है कार्यालय में लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि आदिवासियों के बच्चे पढ़ सके आश्रमों में अध्यापन के लिए शिक्षक नहीं है और शिक्षकों से कार्यालय में कार्य कराया जा रहा है।

2 नवम्बर उदयपुरा में होगा भव्य श्री श्याम जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा का आयोजन।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। एक शाम बाबा श्याम के नाम कार्यक्रम के तहत उदयपुरा में भव्य श्री श्याम जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 02 नवम्बर 2025 (रविवार) को ब्रह्म नगर, उदयपुरा में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2: 00 बजे से भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी, वहीं शाम को रात्रि 8ः00 बजे से भजन संध्या का शुभारंभ किया जाएगा, जो प्रभु इच्छा तक चलेगी। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक यशी चौरसिया (जबलपुर) और मुकेश विश्वकर्मा (उदयपुरा, सुल्तानगंज रायसेन) अपनी मधुर आवाज़ में बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में मां रेवां म्यूजिकल ग्रुप उदयपुरा संगीत सेवा प्रदान करेगा। आयोजन का संचालन करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम संस्था द्वारा किया जा रहा है तथा श्री श्याम परिवार उदयपुरा ने इस भव्य आयोजन का निवेदन किया है। इस अवसर पर भव्य दरबार, अखंड ज्योति, दंपत्ति भोग, आलोकित श्रृंगार, पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा जैसी आकर्षक झांकियां कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। भक्तों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में शामिल होकर भक्ति, संगीत और प्रेम से भरे इस महापर्व का आनंद लें।

एन्टी रैबीज प्रोग्राम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए भोपाल बने रैबीज फ्री सिटी

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि भोपाल को रैबीज फ्री सिटी बनाने के लिए कारगर प्रयास शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा एन्टी रैबीज प्रोग्राम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संभागायुक्त ने यह निर्देश कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संचालित सुमन हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए गर्भवती महिला एवं शिशुओं की मृत्यु को कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर संचारी रोगों की जांच की भी समीक्षा की। संभागायुक्त ने स्कूलों में चल रहे नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण की जानकारी ली। संभागायुक्त ने कहा कि संभाग में साफ-सफाई के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सड़कों, गलियों, नालियों, सीवेज आदि की साफ-सफाई से संबंधित शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण तेजी से करें। उन्होंने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम संबंधी शिकायतों का भी निराकरण तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग के अंतर्गत हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रता अनुसार दिलाना सुनिश्चित करें।

अखिल भारतीय बाघ गणना की हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला वन्य-प्राणी प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया जाए

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में 15-16 अक्टूबर को अखिल भारतीय बाघ गणना-2026 की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये मास्टर ट्रेनर वन रक्षकों द्वारा प्रभावी तरीके से टाइगर एस्टीमेशन की वैज्ञानिक कार्य-प्रणालियों, ऋ्रञ्जह्वक्क्षह्र ऐप आधारित डिजिटल मॉनीटरिंग, कैमरा ट्रेपिंग, ऑक्यूपेंसी सर्वे और फील्ड अभ्यास पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में तकनीकी पद्धति और अनुभव को साझा कर अखिल भारतीय बाघ गणना-2026 की तैयारियों की समीक्षा की गयी जिससे आगामी गणना में बेहतर डाटा संग्रहण के साथ वन्य-प्राणी प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कार्यशाला में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 13 फ्रन्टलाइन स्टॉफ को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये क्षेत्र संचालक पदक से सम्मानित भी किया गया।

18 दिन बाद लापता युवक का कुएं में मिला शव, मौके पर पहुंचे ASP जिला अध्यक्ष कैलाश कुमार, कहा- निष्पक्ष जांच हो

राजू राय - संभागीय संवादाता

शहडोल / जयसिंहनगर। अस्पताल के पास स्थित पुराने कुएं में रविवार को भंगजीर गांव निवासी राजेश सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. मृतक लगभग 30 वर्ष के थे और 28 सितंबर से लापता थे. जानकारी के अनुसार, घटना के दिन राजेश सिंह की गाड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति की गाड़ी से टकरा गई। इस दौरान मारपीट हुई और मृतक को गंभीर रूप से पीटा गया। घटना स्थल के पास वन विभाग का तेंदूपत्ता गोदाम स्थित है, जो वर्तमान में सुनसान है। उसी क्षेत्र में शव बाद में पुराने कुएं में पाया गया। घटना की खोज तब हुई जब एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने गया और उसकी एक बकरी कुएं में गिर गई। झांककर देखने पर चरवाहे ने कुएं में शव को तैरता हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों के बयान भी

दर्ज कर लिए गए हैं। दुर्भाग्यवश, कुएं में गिरी बकरी की भी मौत हो गई।

आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने की निष्पक्ष जांच की मांग: सूचना मिलते ही घटना स्थल पर आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिला अध्यक्ष कैलाश कुमार अहिरवार पहुंचे. उन्होंने इस मामले में जयसिंहनगर पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.

पुलिस प्रशासन से कार्रवाई में तेजी की मांग: इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के पक्ष से पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने घटना की गंभीरता को उजागर किया और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मृतक की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है।

सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता थे मौजूद

मौके पर लाल बहादुर सिंह नेटी, विंध्य प्रभारी, भारत आदिवासी पार्टी (मध्यप्रदेश), सुनील रैदास, ब्लॉक आई.टी. सेल प्रभारी, जयसिंहनगर (भीम आर्मी भारत एकता मिशन), गोलू बौद्ध, ब्लॉक संयोजक, जयसिंहनगर (भीम आर्मी भारत एकता मिशन), बाबू बौद्ध, ब्लॉक सचिव, जयसिंहनगर (भीम आर्मी भारत एकता मिशन), तेजप्रताप सिंह उइके, प्रदेश उपाध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (त्रह्हत्र-त्रक्क), रविंद्र प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष, ओबीसी महासभा, शहडोल, रामनरेश वर्मन, जिला सचिव, ओबीसी महासभा, लल्ला प्रसाद यादव, जिला प्रवक्ता, ओबीसी महासभा, पुरुषोत्तम सिंह मरावी, जिला अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी जैसे पहुंचे प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।

श्रमिकों को बोनस भुगतान जरूरी

भोपाल। श्रम विभाग द्वारा राज्य में संचालित समस्त कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे संस्थान जहां बीस या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रूपये से कम है, उन्हें बोनस भुगतान किया जाना जरूरी है। अधिनियम के अनुसार हर लेखा वर्ष में किए गए कार्य के बोनस का भुगतान आगामी लेखा वर्ष में 30 नवंबर तक किया जाना चाहिए। बोनस की राशि 7000 रूपये अथवा 8.33त्न जो भी अधिक हो वह देय होगी। उप श्रम आयुक्त श्री आशीष पालीवाल ने बताया है कि उक्त बोनस का भुगतान न होने की स्थिति में अपनी शिकायत संबंधित जिला श्रम कार्यालय में, एल.सी.एम. एस.पोर्टल पर, शासन द्वारा संचालित cmhelpline पोर्टल 181 पर अथवा श्रम विभागीय टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दर्ज करवा सकते हैं।

औषधि गुणवत्ता मॉनिटरिंग संरचना होगी सुदृढ़

- टेस्टिंग क्षमता चार गुना बढ़ाने के उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिए निर्देश
- चिकित्सकीय अमले की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। अधोसंरचना विकास, टेस्टिंग लैब के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता तथा पर्याप्त मैनपावर सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने टेस्टिंग क्षमता को चार गुना बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में औषधि गुणवत्ता मॉनिटरिंग संरचना के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों और संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चिकित्सकीय मैनपावर की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने चयनित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों को शीघ्र पदस्थापित करने और शेष नियुक्तियों की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में प्रचलित मॉडलों का अध्ययन कर मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं तेज़ बनाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त विशेषज्ञ स्टाफ से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि राज्य में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में बताया गया कि विगत माह 267 चिकित्सकों/विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया के परिणाम जारी किए गए हैं। इनमें से 243 की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है, 7 की पोस्टिंग की जा चुकी है तथा 17 की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रगतिरत है। संचालक स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री दिनेश श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में 45 रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट से निगरानी

नागरिकों को फेसलेस सुविधा

भोपाल। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया गया है। इनके स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट प्रारम्भ कर दिए हैं। इन पर पदस्थ प्रवर्तन बल द्वारा बॉडीवोर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है। इज ऑफ डुइंग बिजनेस के अंतर्गत इन प्वाइंट पर द्वारा अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। परिवहन विभाग ने इस वर्ष 5 हजार 693 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने करीब 4 हजार 875 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया था। यह राजस्व वर्ष 2023-24 के मुकाबले 5.83 प्रतिशत अधिक रहा है।

प्रदेश में बनाये गये सुविधा केन्द्र

परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित अधिकतर सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल वाहन तथा सारथी के माध्यम से फेसलेस प्रदान किया जाना प्रारम्भ किया गया है, जिसमें आवेदक को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। आमजन को परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करने के लिए सीएससी सेंटर्स के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी राज्य सरकार द्वारा सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

नकदी रहित उपचार सुविधा

सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित उपचार के लिये सड़क दुर्घटना पीडितों का नगदी रहित उपचार स्कीम-2025 सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई है, जिसके तहत पीड़ित ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रूपये तक की रकम के नकदी रहित उपचार करा सकता है।

रीवा एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए शीघ्र बनायें प्रस्ताव : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र रीवा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विंध्य क्षेत्र में विकास की गति तेज़ हुई है और औद्योगिक विस्तार निरंतर गति पकड़ रहा है। रीवा एयरपोर्ट का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण समय की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीवा एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने और आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाये। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ नियमित सामंजस्य बनाकर कार्यवाही को गति दी जाये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि रीवा एयरपोर्ट वर्तमान में एटीआर-72 विमान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है और नाइट लैंडिंग की सुविधा से युक्त है। उन्होंने कहा कि हवाई सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाना आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि नई एविशन नीति के अंतर्गत रीवा एयरपोर्ट के लिए दो एयरलाइन मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि रीवा की हवाई सेवाओं के विस्तार में विलंब न हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी सशक्त होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव (एविएशन) श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त (एविएशन) श्री चंद्रमौली शुक्ला, उप सचिव (एविएशन) श्री कैलाश बुंदेला और निदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया भोपाल श्री रामजी अवस्थी उपस्थित थे।

उद्योग और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक: श्रम मंत्री श्री पटेल

श्रमिक और उद्योग के बीच सहयोग सशक्त करने हुआ 'श्री' कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने कहा है कि उद्योग और श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक हैं, जिससे विकासात्मक गतिविधियाँ सही भाव एवं दिशा में राष्ट्रीय हित के अनुरूप आगे बढ़ सकें। मंत्री श्री पटेल ने यह बात श्रम विभाग द्वारा उद्योग और श्रमिकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीथमपुर स्थित ब्रिजस्टोन कंपनी परिसर में गुरुवार को आयोजित कार्य़शाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कही। श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि उद्योग और श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों से ही विकास राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो सकता है। श्रमिकों के सामूहिक सशक्तिकरण के लिये 'श्री' (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, संबंध, उद्यम और शिक्षा) कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर उद्योग प्रतिनिधियों और श्रमिकों ने एक मंच पर आकर श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा औद्योगिक सुरक्षा, योग के मूलभूत अभ्यास एवं सूर्य नमस्कार और 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' जैसी महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं पर प्रस्तुतियाँ दी गईं। कार्यशाला में विभाग की अभिनव पहलों पर भी चर्चा हुई। इनमें श्रमिक सहकारी समितियों का गठन, और प्रतिष्ठानों को अपनी श्रमिक-कल्याण संबंधी पहलों को प्रदर्शित करने के लिये प्रस्तावित 'श्रम स्टार' रेटिंग प्रणाली शामिल हैं। कार्यशाला में श्रम विभाग के अधिकारियों सहित पीथमपुर एवं इंदौर स्थित उद्योगों के सेफ्टी ऑफिसर्स और मानव संसाधन प्रबंधकों की सक्रिय सहभागिता रही। श्री कार्यशाला श्रृंखला विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संवाद, जागरूकता और सहभागिता का वातावरण तैयार करने के लिए प्रारंभ की गई है।

श्रमिकों की आयु गणना के लिये नवीन निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये श्रम विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये हैं। अब आयु गणना के लिये आधार कार्ड के आधारपर शब्द विलोपित किया गया है। आयु के प्रमाण के लिये परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी तरह जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य होगा। श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री बसंत कुर्रे ने बताया है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस चिकित?सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो का प्रमाण पत्र मान्य होगा। उक्त चारों दस्तावेजों अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर आयु संबंधी निर्णय लिया जायेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** :- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)